



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 02.03.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 02.03.2021 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

01 कुन्तल गोवंशीय पशु के माँस व अवैध शस्त्र के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली-

मु0अ0सं0 041/2021 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 में अभियुक्त गण 1-अकरम पुत्र अय्यूब उम्र 25 वर्ष निवासी मसीत थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर, 2-युसूफ पुत्र जिन्दू उम्र 22 वर्ष निवासी मंसूरपुर माफी थाना असमोली जनपद सम्भल, 3-मुजम्मिल पुत्र लईक उम्र 20 वर्ष निवासी ककराली थाना डिडौली जनपद अमरोहा को एक कुन्तल गोवंशीय पशु के माँस के साथ उ0नि0 नरेन्द्र कुमार द्वारा कमालपुर काफरपुर तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अकरम उपरोक्त के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा व 04 अदद जिन्दा कार0 12 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना असमोली पर 042/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार थाना नखासा-

मु0अ0सं0 81/2021 धारा 13 जी एक्ट में अभियुक्तगण 1-अदनान पुत्र मो0 जफीर निवासी तुर्तीपुरा इलाहा थाना नखासा जनपद सम्भल आदि 03 नफर को उ0नि0 चन्दर सिंह द्वारा पक्काबाग चौराहे के पास से 52 पत्ते ताश व 1210 रू0 के साथ मय गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बहजोई-

मु0अ0सं0 082/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त उदेराम यादव पुत्र रुमसिंह निवासी नरौदा थाना बहजोई जनपद सम्भल को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ उ0नि0 कालेन्द्र सिंह द्वारा नरौदा चौराहे से गिरफ्तार किया गया ।



02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना गुन्नौर-

मु0अ0सं0 092/2021 धारा 452/504/354/324/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त वालेश उर्फ बबलू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी मौ0 टंकी कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सम्भल उ0नि0 विजय गौतम द्वारा नफीस चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0 093/2021 धारा 420/467/468/479 भादवि में वांछित अभियुक्त भारत सिंह पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम सतनौली थाना धनारी जनपद सम्भल को वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजित सिंह द्वारा नफीस चौराहे से गिरफ्तार किया गया।



02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार थाना धनारी-

वाद संख्या 3844/2016 धारा 452/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र होरीलाल निवासी बायभूड़ थाना धनारी जनपद सम्भल तथा मु0संख्या 279/2018 धारा 323/354/392 भादवि में वारण्टी अभियुक्त वीरपाल पुत्र प्यारेलाल निवासी धनारी स्टेशन थाना धनारी जनपद सम्भल को उ0नि0 दलवीर सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

